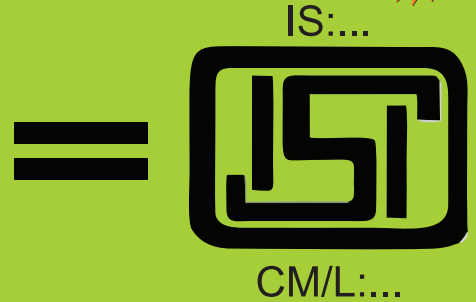




गुणता सुरक्षा विश्वसनीयता



याद रखें

- भामाब्यूरो से वैध आईएसआई लाइसेंस प्राप्त किये बिना,  मुहर के दुरुपयोग संबंधी किसी प्रकार की सूचना नज़दीकी भामाब्यूरो कार्यालय को दी जा सकती है जिसे गोपनीय रखा जाता है। सफल तलाशी और ज़ब्ती होने पर सूचना प्रदाता को 5000/- रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
-  मुहर का दुरुपयोग भामाब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। ऐसे दुरुपयोग पर एक वर्ष की सज़ा या 50,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



उपभोक्ता शिकायतों के लिए भामाब्यूरो की वेबसाइट से एंड्रॉयड फोन पर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें।



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110 002
टेलीफोन. : 011-2323 5069, ई-मेल: complaints@bis.org.in



मुहर यानी बेहतरीन गुणवत्ता की पहचान



सदैव मुहर लगे उपकरण ही खरीदें



मुहर गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा का आश्वासन देती है

सदैव मुहर लगे उत्पाद ही खरीदें

शिकायत हेतु कृपया प्रमुख (आई-केयर) को सम्पर्क करें, टेलीफैक्स: 23235069, ईमेल: icare@bis.org.in



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002

वेबसाइट : www.bis.org.in



मुहर का दुरुपयोग करना, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के तहत एक दण्डनीय अपराध है



MARK REFLECTS THE QUALITY AT VERY BEST

ALWAYS BUY  MARKED ELECTRICAL APPLIANCES



Mark assures Quality, Reliability and Safety

Ensure that you always buy products with  mark.

In case of complaint please contact Head (i-care), Telefax : 23235069, Email : icare@bis.org.in



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.

Website : www.bis.org.in



Misuse of  Mark is a criminal offence punishable under BIS Act, 1986

सावधान !



आईएस मुहर:.....

यदि इन उत्पादों पर  मुहर न हो, तो इन्हें न खरीदें

सीएम/एल

अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत उत्पाद



सीमेंट : साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, चिनाई सीमेंट, उच्च एल्यूमिना सीमेंट, सफेद पोर्टलैंड सीमेंट



घरेलू बिजली का सामान : वाट-घंटा मीटर, बिजली के जल में निमज्ज्य निरापद रूम हीटर सामान्य प्रकाश प्रयोजन हेतु स्वतः बलास्टिड लैम्प



खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद : संचनित दूध, धान्य से बने खाद्य पदार्थ, पैकेजबंद पेयजल, खनिज जल, दूध पिलाने की प्लास्टिक बोतल, मलाई रहित दूध पाउडर



चिकित्सा उपकरण : क्लिनिकल थर्मामीटर, चिकित्सीय एक्स-रे उपकरण



इस्पात उत्पाद : जस्तीकृत इस्पात की चादरें, जल, गैस एवं मल-जल हेतु तन्त्र इस्पात फिटिंगें एवं दाब पाइप, जल के कुंओं हेतु इस्पात के पाइप, प्रेशर वैसल हेतु इस्पात की प्लेटें



इलेक्ट्रॉनिक वस्तुयें : वीडियो रेकॉर्डर, प्रिंटर/प्लॉटर, एलसीडी/एलईडी/प्लाज्मा टीवी, सेट-टॉप बॉक्स, माइक्रोवेव ओवन, एम्पलीफायर, वायरलेस की-बोर्ड, टेलीफोन आनसर्जिंग मशीनें

गुणता एवं सुरक्षा हेतु  मुहर कड़ी जांच के बाद ही प्रदान की जाती है।

उत्पाद पर लगी यह मुहर आश्वासन देती है कि वह उत्पाद आपके पैसे का पूर्ण मूल्य प्रदान करता है।

- भामाब्यूरो से वैध आईएसआई लाइसेंस प्राप्त किये बिना,  मुहर के दुरुपयोग संबंधी किसी प्रकार की सूचना नज़दीकी भामाब्यूरो कार्यालय को दी जा सकती है जिसे गोपनीय रखा जाता है। सफल तलाशी एवं जब्ती होने पर सूचना प्रदाता को ₹ 5000/- तक का पुरस्कार दिया जायेगा।
- भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में उपभोक्ताओं के लिये आईएसआई  मुहर लगे उत्पादों के सार्वजनिक नमूनों के परीक्षण कराने हेतु प्रावधान हैं।
- यदि आप  मुहर लगे उत्पाद की शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया सम्पर्क करें : प्रमुख (आई-केयर) टेलीफैक्स 011-23235069 ई-मेल : icare@bis.org.in



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23235069, ई-मेल : icare@bis.org.in



मुहर का दुरुपयोग भामाब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है, ऐसे दुरुपयोग पर एक वर्ष की सजा या ₹ 50,000/- तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

Beware!

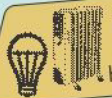
Don't buy these products if they don't have  Mark
IS :
CM/L-.....



Products under Mandatory Certification:



Cement : Ordinary Portland Cement , Masonry Cement, High Alumina Cement, White Portland Cement



Household Electrical Goods: Watt-hour Meters, Safety Electric Immersion Water Heaters, Electric Stoves, Switches, Room Heaters, Self Ballasted Lamps For General Lighting Purposes



Food & Related Products : Condensed Milk, Cereal Based Foods, Packaged Drinking Water, Mineral Water, Plastic Feeding Bottles, Skimmed Milk Powder



Medical Equipment : Clinical Thermometers, Medical X-Ray Equipment



Steel Products: Galvanized Steel Sheets, Ductile Iron Fittings & Pressure Pipes For Water, Gas & Sewerage, Steel Tubes For Water Wells, Steel Plates For Pressure Vessels



Electronic Items : Video Games, Printers/Plotters, LCD/LED/ Plasma TVs, Set-Top Boxes, Microwave Ovens, Amplifiers, Wireless Keyboards, Telephone Answering Machines

 Mark is granted only after strict and stringent checks for quality and safety.
It is your assurance for a product that gives you the complete value for your money.

- Any information on misuse of  Mark without having a valid license from BIS can be given to the nearest BIS Office which shall be kept confidential. Genuine Information Provider shall be rewarded up to ₹ 5000/- for successful search and seizure.
- Provision made for consumers for Testing of Public Samples for  Marked Products from BIS Labs.
- In case of complaint of  Marked Products, you may contact Head (i-Care), Telefax: 011-23235069, Email: icare@bis.org.in

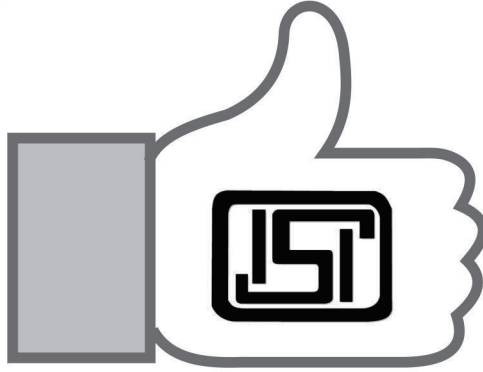


BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi – 110 002

Telephone: 011-23235069 E-mail: icare@bis.org.in

Misuse of  Mark is a criminal offence punishable under BIS Act 1986 one year imprisonment or a fine up to ₹ 50,000/- or both can be levied on such misuse



गुणता आश्वासन की सर्वाधिक “पसंद आने वाली” मुहर !

किसी भी उत्पाद को खरीदने से पूर्व  मुहर देखें
एवं गुणता, विश्वसनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करें

याद रखें

- ❖ भामाब्यूरो से वैध आईएसआई लाइसेंस प्राप्त किये बिना,  मुहर के दुरुपयोग संबंधी किसी प्रकार की सूचना नज़दीकी भामाब्यूरो कार्यालय को दी जा सकती है जिसे गोपनीय रखा जाता है। सफल तलाशी एवं जब्ती होने पर सूचना प्रदाता को 5000/-रु. तक का पुरस्कार दिया जायेगा।
- ❖ भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में उपभोक्ताओं के लिये  मुहर लगे उत्पादों के सार्वजनिक नमूनों के परीक्षण कराने हेतु प्रावधान हैं।



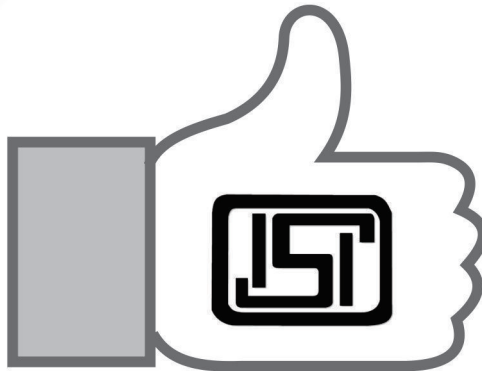
यदि आप  मुहर लगे उत्पाद की शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया सम्पर्क करें:
प्रमुख(आई-केयर) टेलीफ़ैक्स 011-23235059
ई-मेल : icare@bis-org-in

 मुहर का दुरुपयोग भामाब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है, ऐसे दुरुपयोग पर एक वर्ष की सजा या 50,000 रु. तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002
टेलीफोन 011-23235069 ई-मेल : icare@bis-org-in



**The most "liked" mark of
quality assurance!**

**Look for  mark before you buy any product
and ensure quality, reliability & safety!**

Remember

- ❖ Any information on misuse of  Mark without having a valid license from BIS can be given to the nearest BIS office which shall be kept confidential. Genuine information provider shall be rewarded up to Rs. 5000/- for successful search and seizure.
- ❖ Provisions are made for consumers to test Public Samples of  marked products in BIS labs.



In case of complaint related to  marked products you may contact
Head (i-Care) 011-23235069,
e-mail: icare@bis.org.in

Misuse of  mark is a criminal offence punishable under BIS Act, 1986.

One year imprisonment or a fine up to Rs.50,000/- or both can be levied on such misuse.



Bureau of Indian Standards

9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002
www.bis.org.in

विश्वसनीय मुहर, जो करोड़ों का विश्वास सुनिश्चित करती है।



मुहर निम्नलिखित का आश्वासन देती है



1. भामाब्यूरो से वैध आईएसआई लाइसेंस प्राप्त किये बिना, ISI मुहर के दुरुपयोग संबंधी किसी प्रकार की सूचना नजदीकी भामाब्यूरो कार्यालय को दी जा सकती है जिसे गोपनीय रखा जाता है। सफल तलाशी एवं जब्ती होने पर सूचना प्रदाता को 5000/- रु. तक का पुरस्कार दिया जायेगा।
2. भामाब्यूरो प्रयोगशालाओं में उपभोक्ताओं के लिये आईएसआई मुहर लगे उत्पादों के सार्वजनिक नमूनों के परीक्षण कराने हेतु प्रावधान हैं।
3. यदि आप आईएसआई मुहर लगे उत्पाद की शिकायत करना चाहते हैं, तो कृपया सम्पर्क करें : प्रमुख (आई-केयर) टेलीफ़ेक्स 011-23235069 ई-मेल : icare@bis.org.in



भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110 002

वेबसाइट : bis.org.in

आईएसआई मुहर का दुरुपयोग भामाब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत एक दंडनीय उपराध है, ऐसे दुरुपयोग पर एक वर्ष की सजा या 50,000 रु. तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

The trusted mark that
ensure the billion's trust...



Mark assures



- Any information on misuse of ISI Mark without having a valid license from BIS can be given to the nearest BIS office which shall be kept confidential. Genuine information provider shall be rewarded up to Rs. 5000/- for successful search and seizure.
- Provisions made for consumers for Testing of Public Samples for ISI Marked products from BIS labs.
- In case of complaint of ISI marked products, you may contact: Head (i-Care), Telefax: 011-23235069, Email: icare@bis.org.in



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110 002
Website: bis.org.in

**Misuse of ISI Mark (logo) mark is a criminal offence punishable under BIS Act, 1986.
One year imprisonment or a fine up to Rs.50,000/- or both can be levied on such misuse.**



A mark that Assures Trust

